कृषि विभाग की योजनाओं के अन्तर्गत कृषकों को देय सुविधाए -

क्र.सं.	सुविधा	देय लाभ
1.	फसल प्रदर्शन	• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- दलहन अन्तर्गत फसल प्रदर्शनों हेतु आदान की वास्तविक कीमत अथवा रूपये 7500/- प्रति प्रदर्शन/हैक्टेयर अनुदान है। • नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एण्ड ऑयल (एनएमओओपी) अन्तर्गत प्रदर्शनों हेतु आदान की वास्तविक कीमत अथवा रू.3000/-प्रति प्रदर्शन/हैक्टेयर अनुदान देय है। • राज्य योजना अन्तर्गत ग्वार एवं गेहूँ फसल प्रदर्शनों हेतु आदानों की वास्तविक कीमत अथवा रू. 7500/- प्रति प्रदर्शनों/हैक्टेयर अनुदान देय है। जो फसल प्रदर्शन हेतु आदानों की वास्तविक कीमत अथवा रूपये 5000/-प्रति प्रदर्शन/हैक्टेयर अनुदान देय है।
2.	मिनिकिट	विभिन्न योजनान्तर्गत प्राप्त मिनिकिट का पात्र कृषकों को कृषि आयुक्तालय के निर्देशानुसार नि:शुल्क वितरण करने का प्रावधान है।
3.	जलहौज	1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 30 फीट X 20 फीट X 06 फीट = 3600 घन फुट साईज (102 घन मीटर) के जलहौज के निर्माण पर लागत का 50 प्रतिशत अथवा 100 रूपये प्रति घन मीटर अनुदान देय है। उक्त साईज के जल हौज हेतु रूपये 10200/- अनुदान देय है। अधिकतम रूपये 75000/- तक अनुदान देय है।
4.	फार्म पोण्ड (खेत तलाई)	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत् 20 मीटर X 20 मीटर X 03 मीटर = 1200 घन मीटर साईज के फार्म पोण्ड (खेत -तलाई) के निर्माण पर लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रूपये 52500/-अनुदान देय है।
5.	सॉयल हैल्थ कार्ड योजना	वर्ष 2015-16 में सॉयल हैल्थ कार्ड योजना के तहत् जिले की सभी पंचायत समितियों के एक तिहाई क्षेत्र से मृदा नमूनों का विश्लेषण कराकर सॉयल हैल्थ कार्ड कृषकों को उपलब्ध कराए जायेंगे।
6.	जिप्सम वितरण	वर्ष 2015-16 हेतु जिले में भूमि सुधार एंव पौशक तत्व के रूप में जिप्सम वितरण पर लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 1215/- रूपये प्रति मैट्रिक टन अनुदान देय है।

कृषि विभाग की योजनाओं के अन्तर्गत कृषकों को देय अन्य सुविधाए -

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना का संक्षिप्त विवरण	पात्रता	देय लाभ
1.	कृषियंत्र ट्रैक्टर चलित व बैल चलित	केन्द्रीय एवं राज्य योजनाएँ	लघु, सिमान्त, ST, SC एवं महिला कृषक व सामान्य कृषक	40 से 50% लागत मुल्य पर अधिकतम राशि योजना अनुसार
2.	कृषि उपकरण	केन्द्रीय एवं राज्य योजनाएँ	लघु, सिमान्त, ST, SC एवं महिला कृषक व सामान्य कृषक	50 प्रतिशत या 600/- प्रति व्यक्ति (PP)
3.	सिचांई पाईप लाईन	Pmksy योजना pvc, hdpe,ISIa पाईप पर	लघु, सिमान्त, ST, SC एवं महिला कृषक व सामान्य कृषक	अधिकमत 600 मीटर व 25/-प्रति मीटर अनुदान देय है।
4.	फंव्वारा संयत्र	Pmksy योजना	लघु, सिमान्त, ST,SC एवं महिला कृषक व सामान्य कृषक	8000 से 12000/- प्रति हेक्टर अनुदान देय है अधिकमत क्षेत्र एक है